न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2019	2019/00171	23–12–2019	09.05.2022

1– हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीता, जाति अहीर, निवासी ग्राम नयागांव माचाडी, तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार राजगढ नामान्तकरण विरासत संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी निर्णय दिनाक 12.05.1993

उपस्थितः–

01. श्री अजीत कुमार यादव –वकील अपीलाण्ट

02 राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आज्ञा निर्णय दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 14 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी में 1/3 हिस्से के अभिलिखित खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्ट के पिता रणजीता पुत्र धूडया जाति अहीर निवासी ग्राम नयागांव माचाडी, तहसील राजगढ हाल रैणी थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गवास

09.05.2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपरान्त उनकी विरासत का आलोच्य नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक किया गया है। मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम हरिसिंह है एवं मिन अपीलान्ट के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेजात यथा टी.सी., परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में मिन अपीलान्ट का नाम हरिसिंह दर्ज है। उक्त नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करते समय पटवारी, आई. एल. आर. एवं रैस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार को मिन अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में हरिसिंह दर्ज करना चाहिये था लेकिन वारिसान व उनके सही नाम पते की जांच किए बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत में मिन अपीलान्ट का नाम हरिसिंह के बजाय पप्पू दर्ज कर दिया गया है। अतः नामान्तकरण में दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम पप्पु को कलमजन कर उसके बजाय हरिसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रैस्पोडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्ट का नाम हरिसिंह के बजाय पप्पू दर्ज करते हुए अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी किए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए पारित किया गया है। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही है। तहत अदालत नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 14 ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 29.11.2019 को हुई जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कहा। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर मौखिक रूप से जानकारी होने पर दिनाक 29.11.2019 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 29.11.2019 को नकल तैयार होकर सांयकाल को नकल प्राप्त हुई। कानूनी सलाह/आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर अभिभाषक से अपील तैयार कराकर अपील प्रस्तुत की है। पारित आदेश दिनाक 12.05.1993 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 29.11.2019 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जहां आज्ञा प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गय़ी हो, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। इस हेतु प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 मय हल्फनामा पेश किया है। साथ ही निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो गलत एंव मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में की गई बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन–अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत

05/05/2022

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी के विरूद्ध दिनांक 20.12.2019 को अपील पेश की है और अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.11.2019 पटवारी हल्का से होना जाहिर किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आज्ञा निर्णय दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 14 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी में 1/3 अभिलिखित खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्ट के पिता रणजीता पुत्र धूडया जाति अहीर निवासी ग्राम नयागाव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी थे जिनका स्वर्गवास उपरान्त उनकी विरासत का आलोच्य नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक किया गया है। मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम हरिसिंह है एवं मिन अपीलान्ट के समस्त पहचान सम्बधी दस्तावेजात में मिन अपीलान्ट का नाम हरिसिंह दर्ज है। उक्त नामान्तकरण विरासत दर्ज व तस्दीक करते समय पटवारी आई एल आर एवं रैस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार को मिन अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण विरासत में हरिसिंह दर्ज करना चाहिये था लेकिन वारिसान व उनके सही नाम पते की जांच किये बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण में मिन अपीलान्ट का नाम हरिसिंह के बजाय पप्पू दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.1993 नामान्तकरण संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ हाल रैणी निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित नामान्तकरण विरासत संख्या 14 वाके ग्राम नयागांव माचाडी तहसील राजगढ़ हाल रैणी निर्णय दिनांक 12.05.1993 में पप्पू के स्थान पर हरिसिंह दर्ज किये जाने के क्रम में अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः जांच कर विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/05/2022

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार

(वंदना खोरवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)